



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122025-268340  
CG-DL-E-08122025-268340

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5462]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2025/अग्रहायण 17, 1947

No. 5462]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2025/AGRAHAYANA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2025

**का.आ. 5650(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में NH4 (पूनमल्ली से वालाजाहपेट) के कि.मी. 27.600 से कि.मी.86.450 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/छह लेन), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए), राष्ट्रीय राजमार्ग, कांचीपुरम जिला, कांचीपुरम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम

प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में NH4 (पूनमल्ली से वालाजाहपेट खंड) के कि.मी. 27.600 से कि.मी.86.450 तक के भूमि खंड के भीतर गिरने वाली, संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: कांचीपुरम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कांचीपुरम					
गांव का नाम: दमल					
1	471/1A Pt	निजी	वेट	310 (वर्ग मीटर)	0.031
2	471/2 Pt	निजी	वेट	23 (वर्ग मीटर)	0.0023
3	471/3A Pt	निजी	वेट	217 (वर्ग मीटर)	0.0217
4	471/4A	निजी	वेट	50 (वर्ग मीटर)	0.005
5	472/1 Pt	निजी	वेट	195 (वर्ग मीटर)	0.0195
6	483/2A Pt	निजी	वेट	64 (वर्ग मीटर)	0.0064
7	483/3A	निजी	वेट	13 (वर्ग मीटर)	0.0013
Total					0.0872

[फा. सं. NHAI/18011/23-1/2000-PIU- IV/110/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2025

**S.O. 5650(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/six laning etc.), maintenance, management and operation of Poonamallee to Walajahpet section of NH4 in the stretch of land from Km. 27.600 to Km. 86.450 in the district of KANCHEEPURAM in the state of TAMIL NADU, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special District Revenue Officer (LA), National Highways, Kanchipuram District at Kancheepuram in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

## SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH4 in the stretch of land from Km. 27.600 to Km. 86.450 NH4 (Poonamallee to Walajahpet section) in the district of KANCHEEPURAM in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU			District: KANCHEEPURAM		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kancheepuram					
Village: Damal					
1	471/1A Pt	Private	Wet	310 (Square Meter)	0.031
2	471/2 Pt	Private	Wet	23 (Square Meter)	0.0023
3	471/3A Pt	Private	Wet	217 (Square Meter)	0.0217
4	471/4A	Private	Wet	50 (Square Meter)	0.005
5	472/1 Pt	Private	Wet	195 (Square Meter)	0.0195
6	483/2A Pt	Private	Wet	64 (Square Meter)	0.0064
7	483/3A	Private	Wet	13 (Square Meter)	0.0013
Total					0.0872

[F. No. NHAI/18011/23-1/2000-PIU- IV/110/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director